

कार्यालय टिप्पणी

जयपुर विकास प्राधिकरण

भवन मानचित्र समिति ले-आउट प्लान की द्वितीय बैठक दिनांक 28-2-2002 को सांय 6 बजे जयपुर विकास आयुक्त, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्न सदस्य/अधिकारियों ने भाग लिया -

1. श्री तक्रीउद्दोन अहमद, विधायक - सदस्य
2. श्री अशोक तंवर, विधायक - सदस्य
3. श्री राजेन्द्र मावर, सदस्य जविप्रा - सदस्य
4. वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी/एम.पी. प्रोजेक्ट जविप्रा
5. उप नगर नियोजक बीपीसी/एम.पी. प्रोजेक्ट जविप्रा
6. उपायुक्त जोन डी-1, सी-2
7. सहायक नगर नियोजक जोन डी-1, सी-2

उपरोक्त बैठक में लिये गये निर्णयों/कार्यवाही विवरण प्रत्येक योजनाओं के लिए अलग-अलग प्रोफार्म में तैयार किया गया है। वरिष्ठ नगर नियोजक एम.पी. एवं वरिष्ठ नगर नियोजक प्रोजेक्ट से संबंधित जोन्स के जो प्रकरण प्रस्तुत हुए थे उनका कार्यवाही विवरण उनके द्वारा तैयार कर भिजवाया गया है जो संकलित कर अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। (कुल प्रकरण 8)

सदस्य सचिव, बीपीसी ले-आउट प्लान

निदेशक आयोजना

आयुक्त महोदय

STP (BDC)

Pl. Issue the minutes

जारी बी.पी.सी. (ले आउट प्लान) की द्वितीय बैठक दिनांक 28/2/2002
रजिस्टर्ड ब्लॉक संख्या डी-67 दिनांक 01/3/2002 मिनिट्स
अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

STP (Comp)

01/3/2002

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.....बैठक दिनांक 28.2.2024.का
कार्यवाही विवरण।

- | | | | |
|----|--|---|------------------------|
| 1. | खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम | : | शिव शंकर गृ० नि० स० स० |
| 2. | योजना का नाम | : | कृष्णा विहार |
| 3. | ग्राम का नाम व खसरा नं० | : | |
| 4. | सैक्टर नंबर | : | |

जोनल लेबल(जोन संख्या...C...2...) कमेटी की बैठक दिनांक 26.2.2024 में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- पार्टली योजना-मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार संस्थानिक क्षेत्र में है इसलिए इस क्षेत्र का भू उपयोग परिवर्तन किया जावे ।
- 2- योजना में भूखण्ड संख्या 41 से 46 को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे ।
- 3- राजकीय भूमि की राशि नियमानुसार ली जावे ।



जोन स्तरीय बिल्डिंग प्लान कमिटी की बैठक आज दिनांक 27.2.2002 को आयोजित की गई जिसमें निम्न लिखित अधिकारियों ने भाग लिया।


1. श्री बल्लो नाशयण अति आयुक्त एवं उपायुक्त जोन सी-2
- 2 " एन.के. मिंदल जोनल अभियंता जोन सी-2
- 3 " गिरीश शर्मा सहायक नगर नियोजक जोन सी-2
- 4 " ईश्वरी प्रसाद बेरवा तहसीलदार जोन सी-2

बैठक में शिव शंकर गुरु निर्माण सहायक समिति की कुल्ला विहार योजना पर विचार किया गया। यह योजना ग्राम चका गेरेर के खसरा नम्बर 90, 90/545, 92, 99/521, एवं खान. 99 में बनाई गई है। खसरा नम्बर 90, 90/545, 92, 99/521 को प्ला. 90 B के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण के हक में पुनर्धारित किया जा चुका है। इस योजना के निपटण की अभिशंका GDA स्तरीय समिति को निम्न लिखित अनुसारी की जाती है।


1. योजना में खसरा नं. 90/545 एवं 92 की भूमि भी शामिल है लेकिन यह भूमि सरकारी समिति द्वारा खेतदार से क्रय नहीं की है लेकिन हरिनगर गुरु निर्माण सहायक समिति के भूमी ने लिखित में सहमति दी है कि खसरा नम्बर 92 एवं 90/545 पर शिव शंकर गुरु निर्माण सहायक समिति की कुल्ला विहार योजना का अनुमोदन किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। अतः उक्त दोनों खसरा नम्बरों में कुल्ला विहार योजना के अनुमोदन की अभिशंका की जाती है।
2. इस योजना में भू उपयोग संव्यवस्था एवं आवासीय है अतः संव्यवस्था भू. उपयोग को भी आवासीय किए जाने की अभिशंका की जाती है।
3. योजना में कुल भूखण्ड 2 हैं जिनमें से निर्मित भूखण्ड 2 हैं जो 50% से कम हैं अतः निर्मित क्षेत्रों का ध्यान में लेकर ही इस योजना के अनुमोदन की सिफारिश की जाती है।
4. भूखण्ड संख्या 1 राजकीय भूमि में स्थित है लाय ही यह Low Density परिभा में स्थित होने के कारण


इसका अनुमोदन नहीं करने की सिफारिश की जाती है।

उपरोक्तानुसार अनुशेष के साथ इस योजना का सेलाउन नक्शे के अनुसार अनुमोदन करने की सिफारिश की जाती है। योजना में आवासीय क्षेत्र 70.5% एवं सुविधा क्षेत्र 29.5% है। मिश्रित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इसी अनुपात में इस योजना के राकमी की अनुमोदन की सिफारिश की जाती है।
प्रकरण ज. D. A. क्षेत्रीय समिति में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।


राजेश कुमार


ATP


जानल अभियन्ता


अति. आयुक्त

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.....बैठक दिनांक 28.2.2002 का
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : हथरोई गढ़ी हाउसिंग को.ओ. स.
2. योजना का नाम : राधा कृष्णा कौलोनी
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या....C-2...) कमेटी की बैठक दिनांक 26.2.2002 में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित बरिष्ठ चमर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- योजना में 100-0" चौड़ी सड़क पर दर्शायी शोप नं. 1 से 12, तथा भूखण्ड संख्या 1ए को अस्वीकृत किया जावे तथा इन दोनों क्षेत्र को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे ।
- 2- भूखण्ड संख्या 13 से 15 व 1 से 9 के मध्य की सड़क की चौड़ाई 30-0" की जावे ।




जोन त्तरतीय विविडिंग प्लान कमेटी की बैठक आज दिनांक 27.2.2002 को आयोजित की गई। जिसमें निम्न लिखित अधिकारियों ने भाग लिया।


1. श्री बही नाथयण डा. वि. आयुक्त एवं उपायुक्त जोन सी-2
2. " एन. के. सिंघल जोनल अभियन्ता जोन सी-2
3. " गिरीश शर्मा सहायक नगर निमोजक जोन सी-2
4. " इस्वी प्रसाद बैरवा वरसीलवार जोन सी-2


बैठक में हवाई गद्दी गुरु मिश्रण सरकारी सभित्व की राधा कृष्ण प्रथम योजना पर विचार किया गया। योजना ग्राम जगतपुर के खसल नम्बर 68 में बनाई गई है। इस योजना का भू-उपयोग आवासीय है। योजना में कुल आवासीय भूखण्ड 18 है। योजना में वाणिज्यिक भूखण्ड 12 है। योजना में कोई राजकीय भूमि शामिल नहीं है। योजना पर विचार विमर्श कर निपटन एवं निम्न निरीय नियमों में

1. योजना के उत्तर में सोगानेर से जगतपुर को 100' चौड़ी सड़क है, जो के पर भी 100' ही है जिसे यथावत रखा जाता है।
2. भूखण्ड संख्या 1A जो के पर स्थित है जिसे लु विद्याशंकर पाके रखे जाने की अभिशंखा की जाती है।
3. व्यवसायिक भूखण्ड निर्धारित मापदंडों से अधिक होने के कारण उनके अनुमोदन की अभिशंखा नहीं की जाती है।
4. भूखण्ड संख्या 1 एवं 1A तथा भूखण्ड संख्या 10 एवं 11 के बीच की सड़क जो के पर 29'6" है जिसे यथावत रखा जाकर अनुमोदन करने की अभिशंखा की जाती है।
5. योजना में निर्मित क्षेत्र कुल भूखण्ड 18 में से 7 भूखण्डों पर है जो 50% से कम है साथ ही आवासीय क्षेत्र 63.43 है जो निर्धारित मापदंडों से अधिक है अतः उपरोक्त गुणा अभिशंखा के साथ प्रकरण उ.पी. त्तरतीय सभित्व के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर योजना के अनुमोदन की अभिशंखा की जाती है।


वरसीलवार


NTP


जोनल अभियन्ता


डा. वि. आयुक्त

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.....बैठक दिनांक 28.2.2002.का
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : श्यामपुरी गृ० नि० स० स०
2. योजना का नाम : राम बिहार
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...६...२....) कमेटी की बैठक दिनांक 28.2.2002 में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित ~~वरिष्ठ नगर नियोजक~~ द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- मास्टर बिकास योजना 2011 के अनुसार प्रस्तावित 100-0" चौड़ी सड़क में आने वाले भू०स० 1 से 4 को स्वीकृत किया जावे।
- 2- योजना में भूखण्ड संख्या 1 से 17 व 18, 1ए से 1 डी के मध्य मौके पर उपलब्ध 30-0" चौड़ी सड़क को सेक्टर प्लान के अनुसार 60-0" चौड़ी की जावे।
- 3- योजना में भूखण्ड संख्या 79 से 81, 81ए, 68 से 72 एवं 89 को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे।
- 4- भूखण्ड संख्या 12 पूर्ण तथा भू०स० 13 व 14 को आंशिक हिस्से के तौर पर 60" चौड़ी सेक्टर रोड़ गुजरती है। इसलिए भू०स० 12 पूर्ण व 13, 14 को आंशिक अस्वीकृत किया जावे।
- 5- भूखण्ड संख्या 59 को सैट बैक छोड़ने के पश्चात् आच्छादित क्षेत्रफल नहीं मिलता है इसलिए इसे अस्वीकृत किया जावे।
- 6- उपायुक्त जोने ने समिति को बताया कि भू०स० 82 से 88 लो लाइग एरिया में नहीं है। इसलिए इन्हें स्वीकृत किया जावे।



जोन-स्तरीय विडिंग प्लान कागजी की बैठक आज दिनांक 27.2.2002 को आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित अधिकारीयों ने भाग लिया।

1. श्री सती नारायण उपायुक्त
2. " एन.के. सिंघल जोनल इंजिनियर जोन सी-2
3. " इस्वी प्रसाद (वा) तहसीलदार
4. " गिरीश शर्मा सहायक नगर नियोजक



बैठक में श्यामपुरी गुरु निमोन सरकार की प्रतिनिधि की राम विहार योजना पर विचार किया गया। बैठक में निम्न लिखित निर्णय लिए गए।


1. राम विहार योजना में खला नम्बर 190, 191, 211, 212, कुल एकबा 0.16 हे० राजकीय भूमि है जिसकी कीमत राज्य सरकार के विशा निर्देशानुसार जोड़कर निपमन दर का निर्धारण किया जावे।
2. योजना में कुल भूखण्ड 112 हैं जिनमें से निर्मित भूखण्ड 30 हैं जो कुल भूखण्डों के 27% से कम हैं अतः इसके निपमन का अनुमान करने हेतु श्याम जयपुर विवास आयुक्त मंचेण की अध्यक्षता में गठित समिति से करने हेतु प्रस्तुत है।
3. योजना का भू. उपयोग संस्थानिक है अतः भू. उपयोग आवासीय काले की स्वीकृति हेतु प्रकरण J.D.A. स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत है।
4. भूखण्ड संख्या 82 से 89, 92, 93 Low Lying क्षेत्र में हैं। इनका अनुसार यह भूखण्ड नाले से काफी दूर हैं। ये भूखण्ड डलान में स्थित हैं लेकिन यह एक नाले के पानी आने की सम्भावना नहीं है अतः इन भूखण्डों के निपमन की आभिशंका की जाती है।
5. योजना में कुल क्षेत्रफल 38370.93 वर्ग मीटर है इसमें से आवासीय क्षेत्र 26716 वर्ग मीटर है जो कुल क्षेत्रफल का 69.63% है अतः श्यामपुरी 30.37% है जो निर्धारित मापदण्डों से कम है अतः योजना में निर्मित क्षेत्र का ध्यान दे


2 बरत हुए इसी अनुपात में योजना का अनुमोदन करने की
अभि रक्षा की जाती है।

6. भूखण्ड संख्या 1 एव 1A तथा भूखण्ड संख्या 17 एव 18 के
बीच की सड़क सेक्टर प्लान में 60' की चौकियों में
पर यह 30' चौड़ी है, इस सड़क के दोनों ओर (बाँके
पर भवना काफ़ी संख्या में बने हुए हैं। यह सड़क
भाग शिवपुरी योजना की सड़क से मिलती है जो 40'
चौड़ी है अतः इस सड़क की चौड़ाई को 60' के प्लान
पर 40' चौड़ी किए जाने की अभि रक्षा की जाती है।

प्रकरण J.D.A. स्तरीय समिति में अनुमोदनार्थ

प्रमुख है।

सरसालवार

ATP


जगनलभाभयन्ता


अनिलकुमार

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.....बैठक दिनांक 28.2.2002 का
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : नागरिक गृ० नि० स० स०
2. योजना का नाम : बंरीपुरी ।
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...२...२...) कमेटी की बैठक दिनांक 26.2.2002 में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित चरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- योजना में भूखण्ड संख्या 54 से 60 के सामने पूर्व की ओर मौके पर 30-0" चौड़ी सड़क को सैक्टर प्लान के अनुसार 60-0" चौड़ी की जावें ।
- 2- भूखण्ड संख्या 163 से 174 एवं भूस० 175 व 162 के मध्य की सड़क मौके पर 30-0" चौड़ी उपलब्ध है । इस सड़क की चौड़ाई 40-0" की जावें ।
- 3- भूखण्ड संख्या 150 एवं 175 तथा भूस० 192 एवं 125 के मध्य में मौके पर 30-0" चौड़ी सड़क उपलब्ध है । इसलिए इस सड़क की चौड़ाई 40-0" की जावें । भूस० 122, 99, 73 इस सड़क की चौड़ाई में आने के कारण अस्वीकृत की जावें ।
- 4- भूखण्ड संख्या 123, 98, 121, 100 में से एजेण्डा के साथ संलग्न योजना मानचित्र में दर्शाये अनुसार सड़क की भूमि कम की जावें ।
- 5- भूखण्ड संख्या 104 से 110 एवं भूस० 71 से 74 व भूस० 57, 133, भूस० 63, भूस० 62 में से हाई टेन्शन लाइन गुजरती है । इसलिए इन भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावें ।
- 6- भूखण्ड संख्या 110, 111 के दक्षिण की सड़क की चौड़ाई मौके पर 30-0" है इसलिए इसे 40-0" चौड़ी की जावें ।



जोन स्तरीय वि डिंडिंग प्लान कमेटी की बैठक आज दिनांक 27.2.2002 को आयोजित की गई जिसमें निम्न लिखित अधिकारियों ने भाग लिया।

1. श्री बंशी नाथयण आति. आयुक्त एवं उपायुक्त जोन सी-2
- 2 " जोन. के. सिंधल जोनल अभियंता जोन सी-2
- 3 " विनीश शर्मा सहायक नगर नियोजक जोन सी-2
- 4 " इश्वरी प्रसाद बैला तहसीलदार जोन सी-2

बैठक में नागरिक गृह निर्माण सरकारी समिति की वंशीपुरी योजना पर विचार किया गया। इस योजना में खसपनम्बर 372, 379, 380, 382, 383, 385, 387, 390, 391, 395, 397, 432, 433, 515, 376, 377, 408, लम्बूरी कुलरकवा 3.87 हे० एवं खसपन नं. 394, 393, 381/668 में $\frac{1}{2}$ रकबा 0.11 हे० का $\frac{1}{2}$ हिस्सा जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम है अतः इस भूमि को राजकीय भूमि मानते हुए दर का निर्धारण किया जावे। बैठक में निपभन हेतु निम्नानुसार निर्णय लेकर पत्रावली अग्रसारित हेतु JDA स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत की जावे।

1. योजना में मुख्यण्ड संख्या 1 एवं 162 तथा 37 एवं 86 के बीच की सड़क में के 42 60' चौड़ी है जिसके अभाव में 60' रखे जाने की अभिशोषा की जाती है। मुख्यण्ड संख्या 163-164 एवं 162 तथा 174 एवं 175 के बीच की सड़क में के 22 प्लान में 40' चौड़ी है लेकिन योजना के नक्शे में यह सड़क 30' चौड़ी दर्शाया गया है इस सड़क पर निर्मित मुख्यण्डों की संख्या 6 है जिनके आगे Front Set Back 10' से ज्यादा है अतः इस सड़क की चौड़ाई में के 22 प्लान के अनुसार ही 40' चौड़ी रखे जाने की अभिशोषा की जाती है।
2. मुख्यण्ड संख्या 150 एवं 175 तथा 192 एवं 125 के बीच की सड़क को भी के 22 प्लान के अनुसार 40' रखे जाने की अभिशोषा की जाती है। मुख्यण्ड संख्या 122, 123, 99, 98, एवं 73 इस सड़क में आने के कारण मिलकर किए जाने की अभिशोषा की जाती है।
3. इस योजना के पूर्व में के 22 प्लान की 60' चौड़ी सड़क है। यह के 22 रोड है। मुख्यण्ड संख्या 57 से 60 के सामने 60' चौड़ी सड़क मानकर अग्रसारित किए जाने की अभिशोषा की जाती है।

4. भूखण्ड संख्या 63, 108, 113, 109, 110, 107, 106, 105, 71, 72 एवं 74 में से म.ग. लाइन होने के कारण इनको अनुमोदन इस शर्त पर किये जाने की अनुशंसा की जाती है कि यदि म.ग. लाइन इन भूखण्डों के ऊपर से हटा ली जाती है तो इनका नियमन किया जा सकता है।


5. बंशीपुरी I योजना में व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 1 से 8 दशमि में गये हैं चूंकि योजना में आवासीय क्षेत्र 60% से अधिक है अतः इनके अनुमोदन की अभिशंसा नहीं की जाती है।

6. बंशीपुरी II योजना के भूखण्ड संख्या 15 तथा 14 के ऊपर से म.ग. लाइन होने के कारण इनका अनुमोदन इस शर्त पर किये जाने की अनुशंसा की जाती है कि यदि म.ग. लाइन इन भूखण्डों के ऊपर से हटा ली जाती है तो इनका नियमन किया जा सकता है।

7. बंशीपुरी II योजना के भूखण्ड संख्या 1, 2, 8, 9, 10 व 14 के उत्तर में 40' रोड सर्वेयर प्लान में प्रस्तावित है। मां के पर यह सड़क 36' चौड़ी है अतः दोनों ओर से 2'-2' भूमि इस सड़क हेतु लिया जाना प्रस्तावित है अतः उक्त भूखण्डों में से 2' भूमि लिये जाने की अनुशंसा की जाती है। सड़क की चौड़ाई 40' रखना जाना प्रस्तावित है।


8. बंशीपुरी I योजना में आवासीय क्षेत्र 65% है जो निर्धारित मापदंड से अधिक है। निर्मित क्षेत्र 10% से अधिक लेकिन 50% से कम है। बंशीपुरी II योजना में आवासीय क्षेत्र 66.5% है जो निर्धारित मापदंड से अधिक है। निर्मित क्षेत्र 10% से अधिक परन्तु 50% से कम है।

अतः उपरोक्तानुसार नियमन की अभिशंसा के साथ J.D.A. स्तरीय समिति के समझौते प्रस्तुत है।


सहसिलदार


M.T.P.


जो नल अभियन्ता


उप. अभियन्ता

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.....बैठक दिनांक 28.2.2002.का
कार्यवाही विवरण:

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : नागरिक ग्रुप नं० 20 आनंदी
2. योजना का नाम : चंदापुरी II
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सेक्टर नंबर :

जो नल लंबल(जोन संख्या....C-2...) कमेटी की बैठक दिनांक 26.2.2002 पर विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित बरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- भूखण्ड संख्या 1 व 14 के उत्तर की ओर की सड़क मौके पर 30-0" उपलब्ध है जिसे 40'-0" की जावें ।
- 2- भूखण्ड संख्या 14 व 15 में से हाई टैन्क लाइन गुजरती है । इसलिए इन भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावें ।
- 3- भूखण्ड संख्या 27 के दक्षिण पश्चिम कोर्नर का हिस्सा 60-0" सेक्टर रोड़ में आता है । अतः इस क्षेत्र को कम किया जावें ।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.....बैठक दिनांक 28.2.2002 का
कार्यवाही विवरण।

- | | | | |
|----|--|---|-------------------------|
| 1. | खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम | : | अपोलो नगर गृ० नि० स० स० |
| 2. | योजना का नाम | : | नन्दपुरी "ए" |
| 3. | ग्राम का नाम व खसरा नं० | : | |
| 4. | सेक्टर नंबर | : | |

जोनल लेबल(जोन संख्या...६...२....) कमेटी की बैठक दिनांक 26.2.2002 में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित ~~वरिष्ठ नगर नियोजक~~ द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- भूखण्ड संख्या 3 व 11 के दक्षिण पश्चिम की ओर की सड़क जो मौके पर 26-0" चौड़ी है। उसे सेक्टर प्लान के अनुसार 40-0" चौड़ी सड़क योजना में दर्शायी जावे।
- 2- भूखण्ड संख्या 6 में पूर्ण तथा भूखण्ड संख्या 5 व 7 में बराबर क्षेत्र कम करते हुए तथा भूखण्ड संख्या 42 व 43 में से सेक्टर प्लान के अनुसार 40-0" चौड़ी सड़क योजना में दर्शायी जावे।
- 3- भूखण्ड संख्या 3ए व 45 में से हाइटेन्शन लाइन गुजर रही है। इसलिए इन भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावे।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जोन्ल स्तरीय भवन मीनचित्र समीति की बैठक दिनांक 26-2-2002 को 3.00 बजे ऑनरिक्त आंयुक्त इर्णवा सँ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । जिसेमें निम्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया ।

1. श्री एन.के.सिंल, जोन्ल अभियंता
2. श्री ईशवरीप्रसाद बैरवा, तहसीलदार
3. श्री गिरीश कुमार शर्मा, सहायक नगर नियोजक
4. श्री रामगोपाल पटवारी
5. श्री ओमप्रकाश गुप्ता अमीन,
6. श्री योगेशदत्त माधुर, अतुरेक


अपोलो नगर गृह निर्माण सहकारी समीति की नंदपुरी ए योजना पर विचार किया गया । यह योजना ग्राम मनोहरपुरा के उत्तरा नम. 404 420 पर बसी हुई है । इस योजना की भूमि को राज. भू-राज स्व अधीनयम 1956 की धारा 90 बी के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण के हक में रिज्यूम कर लिया गया है । इस योजना में कुल 14742 वर्गज भूमि शामिल है । जिसेमें से 10333 वर्गज भूमि में आवासीय भूखण्ड एवं 4409 वर्गज भूमि में सड़कें है । आवासीय भूखण्ड कुल योजना की भूमि का 70 प्रतिशत तथा सड़कें 30 प्रतिशत है । इस भूमि का भू-उपयोग आवासीय है । समीति ने इस योजना के नियमन पर विचार विमर्श किया तथा निम्न प्रकार निर्णय लिए गए ।

1. योजना के भूखण्ड 1,3, से 9 एवं 11 के दक्षिण में 40 फीट चौड़ी सड़क रखी जाती है । भूखण्ड संख्या 3 के दक्षिण में मौके पर 36 फीट चौड़ी सड़क है । जिसे 40 फुट किया जाता है । इसी प्रकार भूखण्ड संख्या 14,9,11 के दक्षिण में 32 फीट चौड़ी सड़क है । जिसे भी 40 फीट किया जाता है । भूखण्ड संख्या 14 के दक्षिण में भूखण्ड संख्या 13 है जो मौके पर खाली है । इसका अनुमोदन नहीं किया जाकर इस स्थान पर सड़क रखी जावे । उपरोक्त सड़क सीधी भू.स. 13 से होकर निकालने की अभिसा की जाती है ।
2. भूखण्ड संख्या 44,4 और भूखण्ड संख्या 3 ए पर से एच.टी. लाईन गुजरती है । अतः इनका अनुमोदन नहीं किया जाता है । तथा एच.टी. लाईन हटने पर इसका अनुमोदन किए जाने की अभिसा की जाती है ।
3. भूखण्ड संख्या 43,42, एवं 6 पर से सेक्टर प्लान में 40 फीट चौड़ी सड़क है । अतः इनको भी निरस्त किया जाता है । और यहाँ पर 40 फीट चौड़ी सड़क स्वीकृति किया जाना प्रस्तावित है ।

भूखण्ड संख्या 7 एवं 5 पर से भी 5-5 फीट भूमि सड़क में जाती है । अतः इनकी 5-5 फीट भूमि काटकर नियमन करने की अभिरक्षा की जाती है ।

4. भूखण्ड संख्या 26, 27, 28, 25 इस योजना की भूमि से बाहर है । लेकिन यह भूमि निजी आतेदार की है और मौके पर योजना के आतेदारों का कब्जा होने के कारण वहीं तक योजना बना ली है । योजना की इतनी ही भूमि दूसरी तरफ छोड़ी हुई है । अतः इस निजी आतेदार की भूमि को बिना कोई अतिरिक्त राशि लिए नियमन किया जाने की अभिरक्षा की जाती है ।

5. इस भूमि में कुल भूखण्ड 49 है । जिनमें निर्मित 21 भूखण्ड है । जो कुल भूखण्डों के 50 प्रतिशत से कम है । अतः इस योजना को स्वीकृत हेतु श्रीमान् जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाता है ।



तहसीलदार
जोन सी-2



सहा.नगर नियोजक
जोन सी-2



जोनल अभ्यन्ता
जोन सी-2



उपायुक्त
जोन सी-2

कार्यालय जयपुर विकसु प्राधिकरण, जयपुर ।

कार्यवाही विवरण

बीपीसी «ले आउट प्लान» की दिनांक 26.2.2002 में लिये गये निर्णय के क्रम में मौका निरीक्षण के पश्चात् ^{D-1} जोन की निम्न योजनाओं को दिनांक 28.2.2002 की बैठक में प्रस्तुत किया गया :-

1. अम्बेश्वर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की कामधेनु योजना, बिलवा के खसरा नम्बर 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 363, 364 के अनुमोदन के संबंध में ।
2. अम्बेश्वर गृह.नि.स.स. की पवन वाटिका योजना, श्री राम की नांगल खसरा नम्बर 128, 130, 131, 398, 399. 129

विचार विमर्श पश्चात् उपरोक्त एजेन्डा पर निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

1. अम्बेश्वर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की कामधेनु योजना, बिलवा के खसरा नम्बर 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 363, 364 के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल «जोन संख्या डी-1» कमेटी की बैठक दिनांक 20.2.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया :-

- (i) हाइवे कंट्रोल बेल्ट रज्यूलेशन के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग की मध्यरेखा से 75mt. क्षेत्र से प्रभावित भूखण्डों का नियमन नहीं किया जावे ।
- (ii) 11 K.U. H.T. Line से प्रभावित भूखण्डों में 25 ft. दोनों ओर सुरक्षा दूरी रखने के पश्चात् नियमन योग्य भूखण्डों का नियमन किया जावे ।
- (iii) भूखण्ड संख्या 86 से 99 के पूर्व में स्थित 30 ft. सड़क को 40 ft. किया जावे ।
- (iv) योजना का भू उपयोग परिवर्तन नियमानुसार ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय किया जावे ।
- (v) जविप्रा आदेश क्रमांक जविप्रा/अआ/भूमि/2002/D-451 के अनुसरण में पत्रावली राज्य सरकार की भिजवायी जावे ।

2. अम्बेश्वर गृह.नि.स.स. की पवन वाटिका योजना, श्री राम की नांगल खसरा नम्बर 129, 130, 131, 398, 399, 128 के संबंध में - जोनल लेबल «जोन संख्या डी-1» कमेटी की बैठक दिनांक 20.2.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया :-

- (i) योजना को 60:40 के अनुपात में अनुमोदन किया जावे ।
- (ii) मुख्य वाटिका रोड को 100 ft. करने पर प्रभावित दुकानों को जिनमें 10 ft. की पार्किंग परचात निर्माण योग्य क्षेत्र नहीं मिल पा रहा है, अस्वीकृत किया जावे ।
- (iii) खसरा नम्बर 117 व 118 एग्रीमेन्ट का पार्ट नहीं होने के कारण इस भूमि पर प्रस्तावित भूखण्डों को निरस्त किया गया ।
- (iv) भूखण्ड संख्या 69 से 75 के पूर्व में स्थित सड़क को 40 ft. किया जावे और भूखण्ड संख्या 69 से 75 एवं 22 B का अधिकांश भाग योजना सीमा से बाहर स्थित होने के कारण स्वीकृत नहीं किया गया । योजना के अंदर की सड़क जो 20 ft. दिखायी गयी है उसको 30 ft. किया जावे ।
- (v) भूखण्ड संख्या 5 B, 5 C, 27, 28, 29, 26 A, 26 B, 26 C का अधिकांश भाग 11 K.U. H.T. Line से प्रभावित होने के कारण सड़कों की चौड़ाई 20 ft. से 30 ft. करने के कारण इन भूखण्डों में निर्माण योग्य भूमि कम उपलब्ध होती है । अतः इनका नियमन नहीं किया जावे । इस क्षेत्र को सुविधा क्षेत्र दर्शाया जावे । भूखण्ड संख्या 1 का अधिकांश भाग योजना सीमा से बाहर होने के कारण नियमन नहीं किया जावे एवं इसे सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे ।
- (vi) योजना का भू उपयोग परिवर्तन नियमानुसार ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय किया जावे ।
- (vii) जविप्रा आदेश क्रमांक जविप्रा/अआ/भूमि/2002/D-451 के अनुसरण में पत्रावली राज्य सरकार की भिजवायी जावे ।


 वरिष्ठ नगर नियोजक * एम.पी. *